

कार्यालय निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email [dirndbr-forest-uk@nic.in](mailto:dirndbr-forest-uk@nic.in) Off. Ph.&fax 01372252497  
वन मित्र कॉसेटर - 920 800 8000



पत्रांक- 982 / 12 - 1 दिनांक 13 सितम्बर 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,  
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित नौटी-छतोली मोटर मार्ग से ग्राम जखेट तक विस्तार हेतु 0.17 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/12840/2015.

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1142/12-1, दिनांक 12.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा अपने पत्रांक 1142/12-1, दिनांक 12.09.2017 से वांछित आख्या प्रेषित की गयी है। सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

( मान सिंह )

निदेशक/वन संरक्षक  
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 1142/124 गोपेश्वर, दिनांक 12-9-2017  
सेवा में,


अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वारा:- निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।  
विषय:- प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/12840/2015** नौटी - छातोली मोटर मार्ग से ग्राम जखेट तक  
विस्तार हेतु 0.17 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यातर्पण।  
मेहलचौरी बेंड से सिलंगना घनियाली मोटर मार्ग का निर्माण।  
महोदय,

उपरोक्त विषय के कम चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In the reply to point No.3 of EDS, the details of the technical and geographical reasons for not opting alternate alignment have not been given.	इस मोटर मार्ग हेतु वैकल्पिक संरेखण का डिजिटल मानचित्र में नीली रेखा से दर्शाया गया है। नीली रेखा के अन्त में भवन आने तथा ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति होने एवं मोटर मार्ग हेतु उपयुक्त स्थल न मिलने के कारण कम दूरी तक ही वैकल्पिक संरेखण दर्शाया गया है।
2	In the reply to point No. 4 of EDS, it is mentioned that the CD containing soft copy of the shape file (.shp file) for the forest land proposed the diversion is sent to this office through concerned Executive Engineer. But, the CD has not been received in this office so far.	अधिसासी अभियन्ता, अरथाई खण्ड, लो०नि०वि० के पत्रांक 786/1 सी० वन दिनांक 15-06-017 द्वारा आपके कार्यालय में जमा की गई है। प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3	3. With reference to the reply submitted against point No. 6 & 7 of EDS, this is to be stated that the scheme for planting of 940 seedlings of Banj & Moru etc. has been submitted now. The estimated amount is calculated as Rs. 21,53,882/- only which appears to be very much on higher side hence may be reviewed. In addition, the total number of projected affected trees is shown as 51 in the online Part-II and 36 trees above 10 cm dia in enumeration list submitted as additional documents. Therefore, the number of project affected trees is required to be reconciled and correct figure may be uploaded along with clarification on the discrepancy in number of trees in different documents. Accordingly, density may also be re-assessed and NPV may also be calculated afresh.	प्रस्तावित परियोजना में 940 वृक्षों के रोपण हेतु आगणन 9,71,400.00 का आगणन किया गया है जिसे पार्ट II के <b>Additional information Details</b> में अपलोड किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण की महत्ता की दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय  
  
उप वन संरक्षक,  
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

